

# उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, .....

खादी एवं ग्रामोद्योग इकाईयों के अस्थाई पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

पंजीकरण संख्या

1. इकाई का नाम
2. पता  
(अ) प्रस्तावित कार्यशाला  
(ब) कार्यालय
3. समिति / संस्था हेतु  
(अ) अध्यक्ष का नाम व पता  
(ब) पंजीकरण संख्या व दिनांक
4. सदस्यों की संख्या  
(अ) कारीगरों की संख्या  
(ब) गैर कारीगर की संख्या
  - (1) कारीगर हैं
  - (2) अनुभव प्राप्त है
  - (3) प्रशिक्षण प्राप्त है
5. इकाई का प्रस्तावित उद्योग
6. इकाई की प्रस्तावित बिक्री व्यवस्था
7. इकाई की प्रस्तावित उत्पादित वस्तुओं के नाम
8. इकाई की स्थिति  
(अ) निकटतम रेलवे स्टेशन  
(ब) निकटतम यातायात के साधन  
(स) विद्युत शक्ति लाइन की दूरी  
(द) निकटतम बैंक शाखा की दूरी  
(य) तहसील विकास खण्ड की दूरी  
(र) अन्य प्रकार की कितनी इकाईयां हैं
9. प्रस्तावित उद्योग हेतु  
(अ) कच्चेमाल की उपलब्धि  
(ब) कारीगरों का उपलब्धि
10. विद्युत शक्ति की आवश्यकता
11. इकाई के पास उपलब्ध मशीन उपकरण का विवरण एवं अन्य
12. इकाई के पास उपलब्ध भूमि, भवन का विवरण

13. इकाई में लगी धनराशि  
(अ) निजी स्रोतों से  
(ब) अन्य स्रोतों से
14. प्रस्तावित सहायता के मांग का विवरण  
(अ) हिस्सा पूंजी  
(ब) कार्यशील पूंजी  
(स) पूंजीगत सहायता  
(द) कार्यशाला  
(य) अन्य सहायता
15. इकाई किस स्रोत से सहायता प्राप्त करना चाहती है
16. प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा

यह घोषित किया जाता है कि –

1. आवेदन पत्र में प्रदत्त सूचनायें सही रूप से प्रस्तुत की गई हैं तथा कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।
2. आवेदनकर्ता उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के निर्देशों एवं नियमों का पालन करते हुए आवश्यक रिकार्ड रजिस्टर, लेखा आदि का रख-रखाव करेगा।
3. आवेदनकर्ता उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों के इकाई के समय-समय पर किये गये निरीक्षणों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी और नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
4. इकाई प्राप्त सुविधा सहायता का सदुपयोग नियमानुसार करेगी।

दिनांक :

आवेदक / उद्यमी के हस्ताक्षर

जांचकर्ता अधिकारी की टिप्पणी एवं संस्तुति

जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर  
एवं पद का नाम